दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार
प्रशासन शाखा

क्रमांक सं./जी.ए/1076/27/प्रशासन/मि./2020/डी-241 दिनांक 05/04/2023

अग्रसारित

निम्नलिखित पत्रों की प्रति सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है:-

क्र.स.	विभाग का नाम	परिपत्र संख्या और दिनांक	विषय
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।	फा.सं. 08(06)/2019-20/क्र.स. एवं भाषा/3974-3988 दिनांक 27.03.2023	दिल्ली सचिवालय स्थित विभागों में नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, प्रक्रिया संबंधी साहित्य बैज, निमंत्रण-पत्र, इश्तहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान पत्रों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषण, आदर्श वाक्यों प्रतीक चिन्ह (लोगों), फाइल कवरों, बैनरों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, लेखन सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने संबंधी।
2.	--- ऊपरोक्त---	ऊपरोक्त, क्र.स. एवं भाषा/3647-3697 दिनांक 27.03.2023	हिन्दी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।
3.	--- ऊपरोक्त---	ऊपरोक्त, क्र.स. एवं भाषा/3571-3625 दिनांक 27.03.2023	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/ हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।
4.	--- ऊपरोक्त---	ऊपरोक्त, क्र.स. एवं भाषा/3777-3827 दिनांक 27.03.2023	राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध।

संलग्नः- ऊपरोक्त अनुसार

उप. निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसरितः-

1. पीएस टू सीईओ (डीयूएसआईबी) सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
2. सदस्य के निजी सचिव (प्रशा./इंजी./वित्त) सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
3. सभी एस.ई/ई.ई/समन्वयक।
4. सभी निदेशक / उप. निदेशक।
5. बी एंड एफओ / डिप्टी सीए-। और ॥.
6. सक्षम प्राधिकारी, तीस हजारी न्यायालय।
7. उप. निदेशक (आईटी) - डीयूएसआईबी वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करें।
8. उप. निदेशक (सिस्टम)।
9. गार्ड फाईल।
10. कार्यालय प्रति।

Diary No. 311 DD(Sys)
Date 6/4/23
Computer Division (DUSIB)
Govt. of NCT of Delhi

Dir. (Admn.)
No. 958
Date 29/3/23

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
...वां विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

Diary/Receipt No. 1850
Date 29/03/23

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3974-3988

दिनांक: 27/03/2023

सेवा में,

अधीक्षक/प्रभारी केयर टेकिंग/स्टेशनरी क्रय शाखा के प्रभारी/अधीक्षक

1. सामान्य प्रशासन विभाग
2. योजना विभाग
3. सतर्कता निदेशालय
4. शहरी विकास विभाग
5. वेतन एवं लेखा कार्यालय
6. विधि व न्याय विभाग
7. प्रशासनिक सुधार विभाग
8. पर्यावरण विभाग
9. ऊर्जा विभाग
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DD (Admn.)
Diary No. R-1186
Date 31/03/23

G-340
29/3/2023

विषयः दिल्ली सचिवालय स्थित विभागों में नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, प्रक्रिया संबंधी साहित्य बैज, निमंत्रण–पत्र, इश्तहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान पत्रों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषण, आदर्श वाक्यों प्रतीक चिह्न (लोगो), फाइल कवरों, बैनरों, प्रदर्शिनियों, संगोष्ठियों, लेखन सामग्री, प्रचार सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने संबंधी।

महोदय/महोदया

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 5.12.2007, 30.7.2009, 4.1.2010, 30.4.2010, 26.7.2010, 14.01.2011, 3.5.2011, 2.11.2011 एवं 04.04.2022 को जारी परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6.5.1996 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/2/96–रा0भा0 एवं दिनांक 24.5.1994 के का0ज्ञा0 सं0 1/14013/8/94– रा0भा0 ए–I में भी स्पष्ट उल्लेख है कि नामपट्ट, रबड़ की मोहरें, प्रक्रिया संबंधी साहित्य बैज, निमंत्रण–पत्र, इश्तहार, होर्डिंग, प्रवेश पत्र, पहचान पत्रों, प्रपत्रों, परिपत्रों, भाषण, आदर्श वाक्यों प्रतीक चिह्न (लोगो), फाइल कवरों, बैनरों, प्रदर्शिनियों, संगोष्ठियों, लेखन सामग्री, प्रचार सामग्री में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सचिवालय परिसर स्थित विभाग उक्त परिपत्रों तथा राजभाषा विभाग के उक्त ज्ञापनों का कड़ाई से अनुपालन नहीं करवा रहे हैं। यहां ऐसे विभाग राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के अपने उपबंधो तथा इसके अधीन जारी आदेशों/निदेशों का पूर्णतः उल्लंघन कर रहे है, वहां वे अधीन कार्यालयों उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में प्रेरणाप्रद संदेश नहीं दे पा रहे हैं और जिससे इस सरकार की भाषा नीति का अनुपालन नहीं हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस बारे में व्यक्तिगत रूचि लेकर अपने विभाग से संबंधित प्रचलित उक्त सभी प्रकार के उन प्रलेखों लोगो इत्यादि की पहचान करके विभाग के उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाने का कष्ट करें, तत्पश्चात् जो प्रलेख इत्यादि हिन्दी में नहीं है उन्हें हिन्दी में प्रकाशित/तैयार करवाने इत्यादि में यथोचित आगामी कार्रवाई करके अपने भरपूर सहयोग से सरकार की भाषा नीति सफल बनाने में सहयोग करें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

कृपया सभी विभागों में प्रसारित करें।

राजेन्द्र
29/03/23

उपनिदेशक (प्र०)

Pl. send a copy to DD/CT also.

का.स. 08(01)/2012–क0सं0 एवं भाषा/ 3989-3997 दिनांक: 27/03/2023

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के अनुरोध सहित।

1. सभी भाषा अकादमियां, साहित्य कला परिषद्, डॉ0 गोस्वामी गिरधी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम्, के केयर टेकिंग शाखा/स्टेशनरी क्रय शाखा/ प्रचार शाखा के प्रभारी अधिकारियों।
2. गार्ड फाईल।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3647-3697 दिनांक: 27/03/2023

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय : हिन्दी के प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 दिनांक 26.1.2004 से लागू किया जा चुका है जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रभावी रूप से लागू करने के लिय समस्त विभागों का दायित्व और भी बढ जाता है।

आपकी जानकारी में यह भी लाया जा रहा है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर केन्द्रीय राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है। इसके कार्यान्वयन के लिये किसी प्रकार की कठिनाई हेतु इस विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था के बारे में अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3698-3711 दिनांक: 27/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड , नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वियन को अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त , यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बडे विभाग को अनुपालनार्थ।

11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सातवां तल,
सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3571-3625 दिनांक: 27/03/2023

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिन्दी में सुनिश्चित करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये समय–समय पर दिल्ली सरकार के विभागों/कार्यालयों तथा इसके अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों के जनसूचना अधिकारियों के पास गणमान्य नागरिकों तथा अग्रणी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो, किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हो, उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए। राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण भी हैं और इसके आधार पर उनसे आशा की जाती है कि सूचना के अधिकार, 2005 के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये हिन्दी में लिखे/हस्ताक्षरित पत्र के उत्तर हिन्दी में प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत करें ताकि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी हिन्दी में उपलब्ध हो सके।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपने जनसूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी तथा सूचना के अधिकार, 2005 संबंधी कार्य देख रहे सभी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को अनुपालन हेतु आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3626-3646 दिनांक: 27/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।

7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड़ , नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।

8. उपायुक्त , यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,, पूसा, नई दिल्ली ।

9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।

10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।

11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।

12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।

13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3777 - 3827 दिनांक: 27/03/2023

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषयः राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कार्य सुनिश्चित करने का अनुरोध ।

महोदय/महोदया,

दिल्ली सरकार तथा इसके स्थानीय निकायों/उपक्रमों में राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार समय–समय पर दिल्ली की प्रथम राजभाषा में कार्य सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया जाता रहा है. लेकिन इस संबंध में गणमान्य व्यक्तियों / हिन्दी से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं से दिल्ली सरकार के अधिकतर विभागों के अधिकतर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुरूप राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी पत्र निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के प्रति अपने वैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुसार अपने कार्यालय कार्य हिन्दी में करने के लिये यथोचित निदेश देने का कष्ट करें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/3828 - 3841 दिनांक: 27/03/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एव आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड , नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त , यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।

11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।

12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।

13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस--2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)